सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 3/2017/13(1)/2007 /का-1-2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2017

विषय :-सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग ।

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 में प्रकाशित " मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी ।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । इस प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या-13/5-89-का-1-1989, दिनांक 06 फरवरी, 1989, शासनादेश संख्या-13/6/98-का-1-98, दिनांक 21 मई, 1998, शासनादेश संख्या-868/13/6-98-का-1-2000, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या-199/का-1-2001, दिनांक 23 सितम्बर, 2000 तथा शासनादेश संख्या-13(1)/2007/का-1-2007, दिनांक 25 जनवरी, 2007 भी निर्गत किये गये हैं ।

3- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है । उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31.07.2017 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय । 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 31 मार्च, 2017 होगी, अर्थात् ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च, 2017 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आयेंगे ।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की सूचना संकलित कर, समेकित रूप से, स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव ।

संख्या- 3/2017/13(1)/2007(i) /का-1-2017, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।